राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2409/2023

मिन्टू गुर्जर –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सह पी.आर. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं विभाग, राजस्थान जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.02.2024

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह कथन अंकित किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.01.2016 में ए.एन.एम. के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष वेतन आहरण नहीं किये जाने के संदर्भ में दिनांक 13.09.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जबकि अपीलार्थी के वेतन का आहरण नवम्बर, 2021 से नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को बार–बार वेतन के संदर्भ में अवगत कराया जा रहा है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 24.09.2021 को स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण सा.स्वा.केन्द्र, बानसूर अलवर से स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुए उपकेन्द्र, मानोता खुर्द खेतडी झुंझुनू में शायर कुमारी के स्थान पर किया गया था। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2021 द्वारा अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 145 पर अंकित है। जिसके अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.11.2021 को उपकेन्द्र, मानोता खुर्द खेतडी झुंझुनू में कार्यग्रहण कर लिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2021 को शायर कुमारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा शारदा देवी की अपील संख्या 4415/2021 में स्थगन आदेश पारित यथावत कार्यरत रहने का आदेश पारित किया गया। विभाग द्वारा दोनों महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित रखा। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को

अधिशेष कर्मचारी की श्रेणी में रखा गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2021 के अनुसरण में कार्यग्रहण किया गया था, जो कि विभाग द्वारा प्रशासनिक आधार पर जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग द्वारा शायर कुमारी को अधिशेष न मानते हुए अपीलार्थी को अधिशेष कर्मचारी की श्रेणी में रखा गया। जो अवैध एवं मनमाना है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.02.2022 के अनुसरण में अपीलार्थी को अधिशेष नर्सिंगकर्मी मानते हुए श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुंनू के लिये कार्यमुक्त किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी। जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2022 को अपास्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2021 के अनुसरण में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया गया था, जो आदेश प्रशासनिक आधार पर जारी किया गया था। चूंकि शायर कुमारी के स्थान पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण शायर देवी द्वारा स्थगन की कार्यवाही की गई थी, जिस कारण से अपीलार्थी का वेतन नवम्बर, 2021 से लगातार आहरण नहीं किया जा रहा है, जो अपने आप में अवैध एवं मनमाना है।

2. हमनें अपीलार्थी के उपरोक्त तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
3. यह स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी को माह नवम्बर, 2021 से वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी को वर्तमान पद से अथवा अन्य किसी रिक्त पद से वेतन आहरित कर वेतन का भुगतान करें।
4. इस आदेश की पालना 10 दिवस में की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य(न्यायिक)